57

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण I/A/अपील/शिवपुरी/भू०रा०/2017/3107

पर्वत सिंह पुत्र गोरेलाल लोधी
निवासी ग्राम–बघरबारा मजरा
हरपालपुर तहसील–पिछोर, जिला–शिवपुरी

M.S. Belapurkar
4/9/2017

विरूद्ध

श्रीमती मखनिया पत्नी रामदास लोधी
निवासी ग्राम–बघरबारा मजरा
तहसील–पिछोर, जिला–शिवपुरी

अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला–शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 46/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 13/07/2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अभिलेख पर आधारित न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, आवेदक एवं अनावेदक सहभूमि स्वामी थे तहसीलदार ने दोनो पक्षो को सुनवायी का पूर्ण अवसर देने के बाद बंटवारे का आदेश पारित किया था जिसकी जानकारी अनावेदक को बंटवारा आदेश के दिनांक से ही थी।

3. यह कि, यह कि तहसीलदार दिनांक 22/08/2014 के विरूद्ध दिनांक 10/03/2017 को प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील नितांत समयवाधित थी ऐसी अपील को समयावधि में होना मानने में अनुविभागीय अधिकारी ने गंभीर भूल की है।

4. यह कि, अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 22/08/2014 को पारित आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया था एवं आदेश पारित होने के समय उसकी जानकारी नहीं थी।

5. यह कि, दिनांक 14/02/2017 को विवाद होने तथा दिनांक 15/02/2017 को तहसील आदेश की जानकारी होने का तथ्य मूर्णतः मिथ्या एवं मनगढ़ंत अभिकथन थे आवेदक ने परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के आवेदन का अत्यन्त विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया था परंतु अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा दिये गये उत्तर का उल्लेख तक अपने आदेश में न करने में एक न्यायालय के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/3107

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा |को आदि के हस्ताक्षर
23.1.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 46/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13.7.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/3/19 **कलेक्टर जिला शिवुपरी**	